

6/3/2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुक्म

02/12/21

सरकारी पेंशनर 39।  
अपार्षी संख्या ① लखी मोरिस नलक हो  
पत्रावली दिनांक 27-01-22 को पेश हो

1618  
20.12.22

अति. जिजा डलक्टर, पाली

29-01-22

कोरोना के कारण  
वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देना का निर्णय लिख  
है। पेशी इलवा होकर पत्रावली दिनांक 03/03/22 को पेश हो।

03/03/22

बी. ओ. सत. अवकाश में है। पेशी इलवा होकर पत्रावली  
दिनांक 14/03/2022 को पेश हो।

14.03.22

सरकारी पेंशनर 39।  
अपार्षी संख्या ① के नाम लखी उयम  
मोरिस पर तामील कुमिन्दा की रिपोर्ट  
अनुसार अपार्षी संख्या 1 वर्तमान में परिवार  
सहित मुम्बई में निवास करते हैं। जिसके  
संदर्भ में लक्ष्मीलक्ष्मी कार्यालय से प्राप्त वर्तमान  
पत्र पर भी अपार्षी संख्या 1 को दो बार  
मोरिस भिजवाये गये जो अहम तामिली की  
रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। उक्त तामिली के अभाव में विचारार्थी हैं। इन उक्त  
लक्ष्मीलक्ष्मी सरा अपार्षी के वर्तमान निवास स्थान  
की पूर्ण जानकारी के अभाव में अधिन पत्र उल्लूक  
किया गया है। यह रिपोर्ट रेवेन्यू कोर्ट में युजल  
1956 के अध्याय 2 के नियम 15 का उल्लंघन है।  
अतः रेवेन्यू कोर्ट में युजल 1956 के अध्याय 2  
के नियम 21 के तहत सरा सरा उल्लूक  
रेकॉर्ड अधिन पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज  
किया जाना है। लक्ष्मीलक्ष्मी रानी पहाकारान् का वर्तमान  
निवास पत्र अहित कर रेवेन्यू कोर्ट में युजल 1956 के  
अध्याय 2 में विहित उल्लूक की पालना करने हुए  
आवश्यक कार्यवाही करें। वस निजय की उक्ति सरा  
को वापस पालनाई भिजवावे। बाद पालना  
फावली पेशल में शुमार होकर लखी से उभ हो।

अति. जिजा डलक्टर, पाली